फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

ग्राम पंचायत नीमला बनाम सरकार

पत्र संख्या : 372/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
09.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम किलचपुरी में गै0मु0रास्ता खसरा नम्बर 126 शमशान की ओर कालीदह तक चालू रास्ता स्थित है तथा जो कि सिवायचक खसरा नम्बर 188/186 व 90 से कालीदह तक जाता है मौके पर चालू है। जो राजस्व रिकार्ड में अंकित नही है। अतः राजस्व रिकार्ड में अंकित कर मौके पर चालू रास्ता अनुसार तरमीम दुरूस्त कर नक्शा कायम किया जावें। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में, जवाब में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम किलचपुरी में कालीदह मन्दिर के खसरा नम्बर 126 रकबा 0.16है0 किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज रिकार्ड है। ग्राम किलचपुरी के खसरा नम्बर 188/186 रकबा 3.60है0 क़िस्म गै0मु0राडा व खसरा नम्बर 90 रकबा 2.33है0 किस्म गै0मु0राडा जो कि दोनों खसरो में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु पुराने नक्शें में कोई रिकार्ड रास्ता नही है। खसरा नम्बर 126 रकबा 0.16है0 किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज रिकार्ड है व खसरा नम्बर 188/186 व 90 सिवायचक दर्ज है परन्तु मौके पर चालू रास्ता है खसरा नम्बर 125 खातेदारी भूमि है जो ग्राम किलतपुरी से कालीदह मन्दिर को जाने वाले रास्ते के बीच स्थित है। अतः वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध प्रा0 पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य का अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिक रिपोर्ट , उक्त मौके पर चालू रास्ते के बीच में खसरा नम्बर 125 स्थित है जो खातेदारी भूमि है जिनको पक्षकार नही बनाया गया है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में तरमीम दुरूस्त कर नक्शा कायम करने हेतु पेश किया है। चुकि मुताबिक रिपोर्ट मौके पर रास्ता चालू है लेकिन पुराने नक्शें में कोई रिकार्डेड रास्ता नही है। अतः प्रार्थना पत्र अनुसार रास्ता तरमीम दुरूस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुना गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति मूल प्रार्थना पत्र के साथ हमफिता हों। उपखण्ड अधिकारी	